

झारखण्ड सरकार
वाणिज्य-कर विभाग

अधिसूचना

अधिसूचना संख्या - राज01-वि0पत्रा0-24-46/2013 2583

राँची, दिनांक - 14/07/2015


झारखण्ड वित्त सेवा के निम्नांकित पदाधिकारियों की सेवाएं अगले आदेश तक वित्त विभाग, झारखण्ड सरकार को कोषागार पदाधिकारी के पद पर पदस्थापन हेतु सौंपी जाती है-

क्रमांक	पदाधिकारी का नाम	वर्तमान पदस्थापन स्थान
1	श्री स्वामी नन्दन	वाणिज्य-कर पदाधिकारी, गोड्डा अंचल, गोड्डा
2	श्री संजय प्रसाद	वाणिज्य-कर पदाधिकारी, तेनुघाट अंचल, फुसरो
3	श्रीमती निशा कुमारी	वाणिज्य-कर पदाधिकारी, लोहरदगा अंचल, लोहरदगा
4	श्री इन्द्रजीत सिंह	वाणिज्य-कर पदाधिकारी, झरिया अंचल, धनबाद
5	श्री सतीश कुमार सिंह	वाणिज्य-कर पदाधिकारी, पश्चिमी अंचल, राँची
6	श्री पंकज नारायण	वाणिज्य-कर पदाधिकारी, आदित्यपुर अंचल, जमशेदपुर
7	श्री अमित कुमार	वाणिज्य-कर पदाधिकारी, अन्वेषण ब्यूरो, जमशेदपुर प्रमण्डल, जमशेदपुर
8	सुश्री मौसमी नागेश	वाणिज्य-कर पदाधिकारी, सिंहभूम अंचल, जमशेदपुर
9	श्री संजय कुजुर	वाणिज्य-कर पदाधिकारी, धनबाद अंचल, धनबाद
10	श्रीमती अंजू कुमारी	वाणिज्य-कर पदाधिकारी, विशेष अंचल, राँची

2. यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

3. संबंधित पदाधिकारियों को निदेश दिया जाता है कि वे अविलंब अपने वर्तमान पद का प्रभार सौंपकर वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची में अपना योगदान देंगे।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से


(अखीरी शशांक सिन्हा)
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक - राज01-वि0पत्रा0-24-46/2013

2583

राँची, दिनांक - 14/07/2015

प्रतिलिपि - महालेखाकार, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक - राज01-वि0पत्रा0-24-46/2013

2583

राँची, दिनांक - 14/7/15

प्रतिलिपि- अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, झारखण्ड, राँची को आगामी अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।


सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक - राज01-वि0पत्रा0-24-46/2013

2583

राँची, दिनांक - 14/07/2015

प्रतिलिपि - माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव, झारखण्ड, राँची/ मुख्य सचिव के सचिव, झारखण्ड, राँची/ प्रधान सचिव, वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची/ संबंधित वाणिज्य-कर संयुक्त आयुक्त(प्र0)/(अपील)/(वैट ऑडिट) / संबंधित कोषागार पदाधिकारी/ संबंधित जिला लेखा पदाधिकारी/ संबंधित जिला भविष्य निधि पदाधिकारी/ सचिव कोषांग, वाणिज्य-कर विभाग, झारखण्ड, राँची / राजपत्रित शाखा/ मुख्यालय के सभी पदाधिकारी/ संबंधित पदाधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


सरकार के उप सचिव।